

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
राज्य पालीटेक्निक,  
द्वाराघाट (अयोध्या)

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
राज्य पालीटेक्निक,  
द्वाराघाट।

संख्या

/सं०अ०य०प० 1887-88 :द्वाराघाट: दिनांक

महोदय,

इस संख्या में कर्मरत श्री राम प्रकाश मिश्रा अनुरोध लोकावकाश  
वेतनमान संख्या 550-940 के नियुक्ति में निदेशालय के आदेश संख्या 40433-  
47/ई-3-दो-25-नो(कर्म०अनु०लोकावकाश) दिनांक 30 मार्च, 1987 द्वारा अग्रणी  
संख्या में हुई थी। जैसा कि इस संख्या के पत्र संख्या 7188-82-अ०अ०य०प०/1397-88 दिनांक 30-4-87 द्वारा अग्रणी सूचित  
किया गया था कि मिश्रा को प्रतिव्ययनीय के पदवार प्रस्थान करने के उपरान्त  
तुरंत कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

अतः श्री मिश्रा के अनुरोध पर उन्हें अब दिनांक 18-9-87  
के पूर्वान्व/अपरान्त में इस संख्या से कार्यमुक्त किया जात है।

(श्री०एस०भाट्ट)  
कर्म०प्रधानाचार्य।

पृष्ठोत्तर पत्र संख्या 1012-93/सं०अ०य०प०

दिनांक 18-9-87

प्रतिक्रिया:-

- 1- ✓ राम प्रकाश मिश्रा अनुरोध लोकावकाश की सूचनाएँ।
- 2- संयुक्त निदेशक पर्वतीय क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षा, 19 विभाग  
हर्ष पौडी गढ़वाल की सूचनाएँ।
- 3- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, ज०प्र० बनपुर की सूचनाएँ।

श्री०एस०भाट्ट  
(श्री०एस०भाट्ट)

एक आदेश की तिथि से एक वर्ष से अधिक आदि से एक आदेश  
अन्य आदेश प्रसारित होने तक आदेश विभागीय कार्य फल संचालित की  
संस्थिति पर नियुक्त अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले पत्रित  
हो श्री राम प्रकाश सिंह को इन्स्ट्रक्टर लीजला से पद पर वेतन रु  
550-740 में उच्च शासन द्वारा स्थान परिवर्तन भारतीय पत्रिका  
द्वारा हाट में अस्थाई सर्व कार्य का से पद भार ग्रहण करने की तिथि  
से नियुक्त किया जाता है। उनकी यह नियुक्ति पूर्ण अस्थाई है एवं नियुक्त  
अधिकारी की सेवाएं अभी भी जारी भी पत्र द्वारा एक माह के अन्दर  
समाप्त की जा सकती है नियुक्त अधिकारी को पदभार ग्रहण करने के लिए  
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- 1- सभी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणात् प्रतिलिपियाँ।
- 2- दो रासपत्रिका अधीनस्थियों से पत्रिक प्रमाण-पत्र को कलेक्टर को भेजा जाये।
- 3- मुख्य प्रशासक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सिन्धुता प्रमाण-पत्र।
- 4- सै स्वी जीवित होने का प्रमाण-पत्र।
- 5- अनुभव प्रमाण-पत्र।

नियुक्त अधिकारी दिनांक 31-5-86 तक यदि पदभार ग्रहण करने में  
अक्षम रहता है तो उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

पदभार ग्रहण को समय अधिकारी को किसी प्रकार का वाचन कराया  
देय नहीं होगा।

निदेशक निदेश  
प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य राष्ट्रीय पत्रिका के द्वारा डा. अशोक

सं 2329-3/स्थापना

दिनांक: 14.5.86

प्रतिभाष्य:

पंजीकृत

- 1- श्री रामप्रकाश सिंह पत्र की शीर्षक निदेश, अध्यापक राष्ट्रीय अन्तर  
राष्ट्रीय निदेशात्मक संचालित की उनके अस्थाई-पत्र दिनांक 22-3-86 में  
सन्दर्भ में सुनाई सर्व आवश्यक कवाची हेतु प्रेषित।
- 2- श्री वेदवीर शर्मा, निदेशक प्राविधि, शिक्षा उच्च अन्तर को एक आदेश  
में कि आदेशों में उक्त पद प्राप्त होने से फलपत्र जारी है, प्रमाण उद्योग  
होने से कारण यह नियुक्ति की गयी। निदेशक सुनिश्चित कि जो पूरा करें।
- 3- संलग्न निदेशक, पर्यटन क्षेत्र प्राविधि के द्वारा 10, निदेशक की पौड़ी  
निदेशक की सुनाई।

*Rishi*  
निदेशक निदेश  
प्रधानाचार्य